ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी – 175015 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति सीमा देवी	01-04-22 से लगातार

सचिव :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री बलबीर सिंह	01-04-22 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भराड़ू के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.22
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	25.80

3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.81
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण शुल्क न वसूलने बारे	0.03
5	6(ग)	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना	0.14
6	8	15वें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से व्यय न करने पर अनुदान राशि का अनावश्यक अवरोधन	30.52
7	12(क)	स्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.09
8	12(ख)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	5.29

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13-12-2023 से 20-12-2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	12/22	05/22

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2023- दिनांक 20.12.23 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत भराड़ू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्रोत :- ग्राम पंचायत भराड़ू के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में भी संलग्न है :-

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1183065.27	346074	1529139.27	397175	1131964.27

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत भराड़ू के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में भी संलग्न है :-

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1918736.84	4647414	6566150.84	3986002.75	2580148.09

अंकेक्षण के दौरान संस्था द्वारा अंकेक्षण दल को निम्न बैंक खातों का ब्यौरा दिया गया है जिनके 31.3.23 तक के अन्तशेष निम्न है :-

बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रयोजन	बैंक शेष (₹)
HP Gramin Bank Bhararu	87440100038184	15th FC	3052190.25
HP Gramin Bank Bhararu	31210114592	Sabha Fund & 5th state	528132.20
HP State Cooperative Bank Joginder Nagar	31210117522	Dev. Work	829796.25
HP Gramin Bank Bhararu	87440100038184	Water guard	9121
HP State Cooperative Bank Joginder Nagar	87440100070366	14th FC	3149.66

बैंक समाधान विवरणी :-	(₹)
स्व: स्रोत :-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**1131964.27**
अनुदान :-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**2580148.09**
स्व: स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	3712112.36
जमा :- खाता संख्या 38184 में जमा ब्याज जिसकी रोकड़ बही में 31-03-22 तक प्रविष्टि नहीं की गयी (555+261)	816
जमा : दिनांक 31.03.21 को 15 वाँ वित्त आयोग के बैंक खाते का अन्त शेष जिसे जोड़ा नहीं गया था	687104
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों का वास्तविक अंत शेष	4400032.36
दिनांक 31.03.23 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	4422389.36
अन्तर की राशि	**22357**

(iii) एमजी नरेगा:- ग्राम पंचायत भराड़ू के अंकेक्षण अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की अनुदानों की मनरेगा की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	5219466.16	5219466.16	5219466.16	0

(iv) स्वच्छ भारत मिशन (SBM, PFMS) :- ग्राम पंचायत भराड़ू के अंकेक्षण अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की स्वच्छ भारत मिशन (SBM, PFMS) की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में है :-

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	353487	353487	353487	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.22 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹22357** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. (क) पंचायत के स्वः स्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत भराड़ू के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु 5 बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त

नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । इस बारे सचिव, ग्राम भराड़ू को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी. के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-169 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा कारण स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में ग्राम पंचायत सचिव ने खाता "क" व खाता "ख" अलग-अलग से संचालित करने को कहा । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्रवाई नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अनुदान ₹25.80 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत भराड़ू द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनाँक 31.03.23 तक अनुदान ₹25,80,148.09 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत भराड़ू द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.81 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-(ङ)** अनुसार ***₹81535*** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति

गम्भीर नहीं है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की वसूली न करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए **₹**400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹2200** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	मुखिया का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	Nill	अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	मुशकान सुपुत्री श्री विजय कुमार	21-04-2022	26-04-2022	200	nill	200
2	Nill	अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	सीतल मेहरा सुपुत्री श्री संसार चंद	21-04-2022	27-04-2022	200	nill	200
3	Nill	अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	लकी कुमार सुपुत्र श्री राजकुमार	12-08-2021	30-05-2022	400	nill	400
4	Nill	अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	ममता देवी सुपुत्री श्री बलदेव कुमार	09-05-2022	30-05-2022	200	nill	200
5	Nill	अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	शनि कुमार सुपुत्र श्री हेम सिंह	23-06-2022	23-07-2022	200	nill	200
6	Nill	अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	विकास कुमार सुपुत्र श्री अमर चंद	25-07-2022	01-08-2022	200	nill	200
7	Nill	अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	सत्या देवी सुपुत्री श्री हिमाल चंद	24-07-2022	01-08-2022	200	nill	200
8	Nill	419599/ 20.02.23	सीमा देवी सुपुत्री श्री ब्रहमू राम	20-01-2023	20-02-2023	400	200	200
9	Nill	074911/ 27.03.23	दीपिका सुपुत्री श्री नेहरू लाल	16-02-2023	27-03-2023	400	200	200

10	Nill	074008/ 28.03.23	निशि सुपुत्री श्री ज्ञान चंद	21-02-2023	28-03-2023	400	200	200
								2200

उपरोक्त के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत भराड़ू को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: ड़ी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-175 दिनांक 16.12.2023 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे शुल्क राशि की वसूली करके उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त कम वसूली गई राशि को उचित स्रोत से वसूली उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.14 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनाँक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2016) के बिंदु 3 के अनुसार पंजीकरण शुल्क, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान ₹14300/- विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2020-21	5800
2.	2021-22	6300
3.	2022-23	2200
	कुल जोड़	**14300**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-181 दिनांक 16.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था । जाँच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे । इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, अलमारी, LCD, Bed इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 29 कार्यों को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका

(National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल संपत्तियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लीकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लीकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन था जोकि गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-168 दिनांक 14.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराडू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8 15वें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से व्यय न करने पर अनुदान राशि का अनावश्यक अवरोधन ₹30.52 लाख :-

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किये गए 15 वें वित्तायोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान राशि को दो बराबर भागों में वितरित करने की सिफारिश की गई है जिसमें से 50 प्रतिशत मूल अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत बंधा हुआ अनुदान होगा जिसे वर्ष 2021-22 से क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत कर दिया गया। आयोग के दिशा-निर्देशों के पैरा-6 के अनुसार मूल अनुदान संयुक्त अनुदान है जिसे ग्राम पंचायत वेतन एवं स्थापना व्यय के सिवाय स्थान-विशेष जरूरतों पर व्यय कर सकती है। पैरा-6 के अनुसार बंधा हुआ अनुदान का व्यय बुनियादी सेवाओं पर कर सकती है (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (Open-Defecation Free) (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल भण्डारण और संग्रहण इत्यादि। जहाँ तक सम्भव हो ग्राम पंचायत बंधा हुआ अनुदान का आधा-आधा इन दो नाजुक सेवाओं पर के लिए वितरित करेंगी। आगे, पैरा 4(iii) में दी गयी शर्तों के अनुसार अनुदान की प्रथम किश्त प्रत्येक वर्ष जून में जारी की जाएगी तथा अक्तूबर में दूसरी किश्त पाने के लिए राज्य सरकार को प्रथम किश्त का अनुदान वितरण प्रमाण-पत्र तथा गत वर्ष में प्राप्त अनुदान के कम से कम 50% का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग्राम पंचायत भराडू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत को 15वें वित्त आयोग से वर्ष 2020-21 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान ₹47,07,087/- की राशि प्राप्त हुई तथा उक्त राशि पर ₹1,32,432/- ब्याज प्राप्त हुआ था, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

ग्राम पंचायत भाग

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्त अनुदान (₹)	प्राप्त ब्याज (₹)	कुल कोष (₹)	वर्ष के दौरान खर्च (₹)	अंतिम शेष (₹)	कुल खर्च का कुल प्राप्त अनुदान के सम्बन्ध में प्रतिशत (₹)
2020-21	0	678878	8226	687104	0	687104	0%
2021-22	687104	1536054	46204	2269362	339439	1929923	14.96%
2022-23	1929923	2492155	78002	4500080	1447888.75	3052191.25	31.08%
योग		**4707087**	**132432**	**7456546**	**1787327.75**		**23.97%**

गौरतलब है कि लेखा परीक्षा की अवधि (03/2023) तक इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि में से वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा ₹339439/- का वर्ष 2020-21 में दो बार गलत तरीके से अनुदान दर्ज किया गया नियमानुसार किसी भी योजना के तहत प्राप्त अनुदान को स्वीकृति/प्राप्ति के वर्ष में ही खर्च कर लिया जाना चाहिए तथा 15वें वित्तायोग के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए गत वर्षों में प्राप्त राशि का कम से कम 50% उपयोग कर लिया जाना चाहिए अन्यथा राज्य को प्राप्त होने वाले अनुदान को रोक दिया जाएगा, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा गत 3 वर्षो में केवल ₹17.87 लाख ही उपयोग में लाये गए है जोकि प्राप्त अनुदान का मात्र 23.97% ही है जिसके परिणामस्वरूप न केवल ₹30.52 लाख की राशि का अवरोधन हुआ बल्कि पंचायत के इस रवैये के चलते राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले अनुदान पर रोक की भी सम्भावना है।

इस प्रकार वित्तायोग के तहत प्राप्त राशि का उपयोग न करते हुए सरकारी धन का अवरोधन न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि यह भी दर्शाता है कि ग्राम पंचायत 15वें वित्तायोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के प्रति गम्भीर नहीं है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-170 दिनाँक 15.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराडू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से व्यय न करने पर अनुदान राशि का अनावश्यक अवरोधन ₹30.52 लाख किया गया था, जिसे अब

भविष्य में 15वें वित्तायोग के अंतर्गत करवाये गए कार्यों को तय समय सीमा में शुरू किया जाएगा व की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

9 (क) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओं की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारकों द्वारा ही करवाया जायेगा।

अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत भराडू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस (₹)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी (₹)
2020-21	127	35	92	835	450	450	16250	5	28250
2021-22	71	27	44	842	513	513	20884	16	29345
2022-23	150	31	119	848	504	504	10732	3	30368

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें

प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमें से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे । अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गम्भीर नहीं थे जोकि नियमों की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-172 दिनांक 15.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉबकार्ड धारकों को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्य दिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा-परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ख) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वॉउचरो/ बिलों को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही

किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-177 दिनांक 16.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा-परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि :-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनाँक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal Pach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की बसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल

उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था । भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी । जाँच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था । जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे कि यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उप्रिक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच जोकि जाति नियमों के विरुद्ध था ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-179 दिनाँक 16.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराडू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी । जिसे अब हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखा परीक्षा को अवगत किया जाएगा ।

11 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन न करना :-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है । इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रथक्करण, संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना । प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है ।

कार्य योजना में ग्राम स्टार पर प्लास्टिक कचरे का भंडारण, संग्रह एवं एकत्रण केन्द्रों की स्थापना तथा इन केन्द्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जायेंगे । जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी और इसे इस योजना में शामिल किया जायेगा । कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का

सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा ।

ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हि०प्र०) में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन स्तरों पर अर्थात घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यक क्षेत्र और बाजारों में सृजीत कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आकलन नहीं किया गया था ।

इस स्थिति में प्लास्टिक कचरे का ग्राम पंचायत क्षेत्र में न तो संग्रहण किया जा रहा है और न ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था| ग्राम पंचायत के पास जिले मंडी के स्क्रैप व्यापारियों की कोई सूची भी नहीं थी तथा सभी हितधारको में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था | ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 40 स्वयं सहायता समूह है लेकिन उनकी मदद भी किसी प्रकार से प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए नहीं ली गई थी ।

इसके अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय मण्डी द्वारा वर्ष 2023 में एक लाख रुपये ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अनुमोदित किये गए थे जोकि व्यय किया जा चूका है । अतः प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिको द्वारा खुले में फेंका जा रहा है या जलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है तथा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत की विफलता दर्शाता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-183 दिनाँक 16.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन नहीं करवाया जा रहा है जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार करवाया जाएगा व लेखा-परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

12 हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के लेखों का प्रमाणीकरण न करना :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा कोड (चैप्टर -10) के अनुसार, किसी संस्था के मासिक और वार्षिक खातों की सटीकता का परीक्षण करना ऑडिट का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

ऑडिट को संस्थानों के वार्षिक खातों को सत्यापित करना होता है और लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को ऑडिट रिपोर्ट के साथ विधिवत प्रमाणित करना होता है।

पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं में नकद आधारित लेखा प्रणाली अपनाई जा रही है। लेखा परीक्षा के दौरान इन संस्थानों के खातों को कैश बुक, पोस्टिंग रजिस्टर और संबंधित सहायक रजिस्टरों के संदर्भ में सत्यापित किया जाना होता है। इन खातों की शुद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए और खातों को लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र (पॉइंट नंबर 10.6) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संलग्न किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पन्द्रहवें केंद्रीय वित्तायोग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए भी लेखों की लेखापरीक्षा अनिवार्य है । खातों के प्रमाणीकरण में Trial Balance, Balance sheet तथा Income and Expenditure Account की शुद्धता पर टिप्पणी की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि लेखा परीक्षित कार्यालय के खाते सही और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं।

ग्राम पंचायत भराड़ू की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर Receipt and Payment Accounts, 2017-18 से बनाये जा रहे थे । इसके साथ ही आय एवं व्यय खातों तथा परीक्षा संतुलन सूची (Trial Balance) का निर्माण भी पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था । लेकिन इन लेखों का हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रमाणीकरण अभी तक नहीं किया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-182 दिनाँक 16.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के लेखों का प्रमाणीकरण न करवाया जा रहा था । जिसे अब विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के लेखों का प्रमाणीकरण करवा लिया जाएगा।

13. (क) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.09 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत भराड़ू द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹9080.18 की स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
सामान्य व अन्य अनुदान						
1	खेम सिंह गाँव पेटु डाकघर भराड़ू तहसील जोगिंदर नगर	203/06.06.22	जेसीबी	42750	**1.00%**	427.50
2	खेम सिंह गाँव पेटु डाकघर भराड़ू तहसील जोगिंदर नगर	207/02.05.22	बोल्डर	6750	**1.00%**	67.50
3	खेम सिंह गाँव पेटु डाकघर भराड़ू तहसील जोगिंदर नगर	208/06.06.22	बोल्डर	27000	**1.00%**	270.00
4	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	023/17.07.22	रेत	4800	**1.00%**	48.00
5	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	022/30.06.22	बजरी	4280	**1.00%**	42.80
6	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	007/16.05.22	रेत	4800	**1.00%**	48.00
7	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	007/16.05.22	बजरी	9540	**1.00%**	95.40

8	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	008/16.05.22	रेत	3600	1.00%	36.00
9	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	008/16.05.22	बजरी	3180	1.00%	31.80
10	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	009/16.05.22	रेत	28800	1.00%	288.00
11	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	009/16.05.22	बजरी	38160	1.00%	381.60
12	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	012/03.06.22	बजरी	9540	1.00%	95.40
13	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	012/03.06.22	रेत	10800	1.00%	108.00
14	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	012/03.06.22	रेत	10800	1.00%	108.00

15	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	012/03.06.22	बजरी	9540	1.00%	95.40
16	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	015/03.06.22	रेत	24000	1.00%	240.00
17	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	015/03.06.22	बजरी	31800	1.00%	318.00
18	खेम सिंह गाँव पेटु डाकघर भराडू तहसील जोगिंदर नगर	214/08.06.22	जेसीबी	90250	1.00%	902.50
19	खेम सिंह गाँव पेटु डाकघर भराडू तहसील जोगिंदर नगर	201/06.06.22	बोल्डर	5400	1.00%	54.00
20	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	052/21.11.22	रेत	4800	1.00%	48.00
21	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	052/21.11.22	बजरी	4240	1.00%	42.40
22	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी	057/12.12.22	रेत	12000	1.00%	120.00

	तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी					
23	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	057/12.12.22	बजरी	10600	1.00%	106.00
24	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	058/14.12.22	बजरी	21200	1.00%	212.00
25	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	059/18.12.22	रेत	14400	1.00%	144.00
26	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	059/18.12.22	बजरी	11395	1.00%	113.95
27	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	056/15.07.22	रेत	2400	1.00%	24.00
28	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	056/15.07.22	बजरी	12720	1.00%	127.20
29	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी	061/12.12.22	रेत	7200	1.00%	72.00

	तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी					
30	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	061/12.12.22	बजरी	10600	1.00%	106.00
31	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	065/14.12.22	रेत	4800	1.00%	48.00
32	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	065/14.12.22	बजरी	4240	1.00%	42.40
33	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	086/16.01.2023	रेत	12000	1.00%	120.00
34	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	086/16.01.2023	बजरी	15900	1.00%	159.00
	14वां वित्त आयोग					
35	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	121/15.03.23	रेत	9000	1.00%	90.00
36	विनोद कुमार गाँव	122/20.03.23	बजरी	5989	1.00%	59.89

	कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी					
37	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	070/18.01.23	रेत	9000	1.00%	90.00
38	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	084/14.12.23	रेत	4800	1.00%	48.00
39	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	084/14.12.23	बजरी	4240	1.00%	42.40
40	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	071/18.01.23	बजरी	10600	1.00%	106.00
	15वां वित्त आयोग					
41	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	047/21.09.22	रेत	9000	1.00%	90.00
42	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	048/21.09.22	बजरी	7950	1.00%	79.50

43	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	049/21.09.22	रेत	3000	1.00%	30.00
44	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	049/21.09.22	बजरी	5300	1.00%	53.00
45	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	027/07.09.22	रेत	9000	1.00%	90.00
46	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	037/20.09.22	बजरी	13250	1.00%	132.50
47	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	037/20.09.22	रेत	3000	1.00%	30.00
48	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	033/21.09.22	बजरी	9540	1.00%	95.40
49	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	034/21.09.22	रेत	9000	1.00%	90.00

50	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	042/28.09.22	बजरी	2120	1.00%	21.20
51	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	035/28.09.22	बोल्डर	5480	1.00%	54.80
52	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	038/20.09.22	रेत	9600	1.00%	96.00
53	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	038/20.09.22	बजरी	12720	1.00%	127.20
54	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	029/07.09.22	रेत	9000	1.00%	90.00
55	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	045/19.9.22	बजरी	10600	1.00%	106.00
56	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	046/19.9.22	रेत	10800	1.00%	108.00

57	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	046/19.9.22	बजरी	7420	1.00%	74.20
58	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	043/19.09.22	बोल्डर	27000	1.00%	270.00
59	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	064/14.12.22	रेत	2400	1.00%	24.00
60	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	064/14.12.22	बजरी	2120	1.00%	21.20
61	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	028/07.09.22	रेत	9000	1.00%	90.00
62	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	050/26.03.2022	रेत	3600	1.00%	36.00
63	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	050/26.03.2022	बजरी	9540	1.00%	95.40

64	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	054/28.09.22	बजरी	2120	1.00%	21.20
65	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	063/09.11.22	बोल्डर	5400	1.00%	54.00
66	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	062/09.11.22	रेत	4800	1.00%	48.00
67	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	062/09.11.22	बजरी	4240	1.00%	42.40
68	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	023/19.06.22	रेत	8640	1.00%	86.40
69	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	024/19.06.22	बजरी	11554	1.00%	115.54
70	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	090/24.02.23	रेत	4800	1.00%	48.00

71	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	090/24.02.23	बजरी	4240	1.00%	42.40
72	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	051/28.09.22	रेत	4800	1.00%	48.00
73	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	051/28.09.22	बजरी	4240	1.00%	42.40
74	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	025/09.06.22	रेत	8640	1.00%	86.40
75	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	026/09.06.22	बजरी	11554	1.00%	115.54
76	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	021/19.06.22	रेत	10800	1.00%	108.00
77	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	022/19.06.22	बजरी	14416	1.00%	144.16

78	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	032/09.06.22	रेत	10620	1.00%	106.20
79	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	032/09.06.22	बजरी	7950	1.00%	79.50
80	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	031/08.09.22	बजरी	4240	1.00%	42.40
81	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	070/18.01.23	रेत	9000	1.00%	90.00
82	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	053/04.01.23	बोल्डर	17010	1.00%	170.10
83	विनोद कुमार गाँव कौंसल डाकघर बस्सी तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	071/18.01.23	बजरी	10600	1.00%	106.00
						9080.18

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2023-174 दिनांक 16.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भराडू के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम

वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.29 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹529220 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदाएँ/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	3346/03.04.22	प्रकाश हार्डवेर & जनरल स्टोर गाँव चनेहर डाकघर बिहून तहसील जोगिनदरनगर	स्टील	**46876**
2	012/20.03.22	सोहन सिंह गाँव भौरा डाकघर भरारू तहसील जोगिंदरनगर	सट्टरिंग व स्टील सीमेंट ढुलाई	**28825**
3	666/29.04.22	चौधरी टाइल्स & सैनिटरि वेर गाँव व डाकघर चलर्घ तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	फ्लोर टाइल	**40798.5**

5	435/27/06/2022	चतर्भुज इलैक्ट्रिक & जनरल स्टोर गाँव चनेहर डाकघर भीहून तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	हार्डवेर आइटम	**21584**
6	229/18.08.22	इन्दिरा प्रिंटिंग वर्क गाँव व डाकघर भरारू तहसील जोगीन्दरनगर	पैंट का कार्य	**30000**
7	2433/18.07.22	आर के हार्डवेर & ट्रन्क हाउस भरारू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	हार्डवेर आइटम	**16395**
8	2438/20.07.22	आर के हार्डवेर & ट्रन्क हाउस भरारू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	हार्डवेर आइटम	**12667**
9	2749/07.07.22	एम/एस विकास एंटरप्राइसेस सुखबाग डाकघर चौंतरा तहसील जोगीन्दर नगर जिला मण्डी	एल्युमिनियम फिटटिंग	**38350**
10	2492/16.07.22	आर के हार्डवेर & ट्रन्क हाउस भरारू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	पेंट	**14430**
11	131/20.09.22	इन्दिरा प्रिंटिंग वर्क गाँव व डाकघर भरारू तहसील जोगीन्दरनगर	पेंटिंग	**24000**
12	101/27.12.22	एम/एस गुप्ता इंडस्ट्रीज़ गाँव शिवद्वाला, तहसील धरमपुर जिला मण्डी	स्पून पाइप 900 एमएम	**32100**
13	3501/15.06.22	प्रकाश हार्डवेर & जनरल स्टोर गाँव चनेहर डाकघर	पाइप & हार्डवेर आइटम	**17637**

		बिहून तहसील जोगिनदरनगर		
	14वां वित्त आयोग			
14	448/07.02.23	चतर्भुज इलेक्ट्रिक & टेंट हाउस भरारू तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	सिल्लिंग फ़ैन व फीटिंग कार्य	**10632**
15	667/29.04.22	चौधरी टाइल्स & सैनिटरि वेर गाँव व डाकघर चलर्घ तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	टाइल्स	**27671**
16	**174/24.03.23**	सतीश कम्युनिकेशन रामा कॉम्प्लेक्स 1st फ्लोर शॉप संख्या 4 वार्ड संख्या 1 नजदीक ग्रामीण बैंक जोगिंदर नगर जिला मण्डी	एचपी लैपटाप	46400
17	168/13.03.2023	जय माँ दुर्गा वैल्डिंग वर्क,गाँव भरारू तहसील जोगीन्दर नगर जिला मण्डी	पार्क बेंच	26125
18	3024/24.03.23	चौधरी हार्डवेर गाँव व डाकघर चलर्घ तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	हार्डवेर आइटम	31267
19	137/28.03.23	जय माँ दुर्गा वैल्डिंग वर्क,गाँव भरारू तहसील जोगीन्दर नगर जिला मण्डी	एंगल स्टैंड	15300
20	3042/27.03.23	चौधरी हार्डवेर गाँव व डाकघर चलर्घ तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	एंगल व टीएमटी बार	29663
21	127/27.03.23	जय माँ दुर्गा वैल्डिंग वर्क,गाँव	installing	14000

		भरारू तहसील जोगीन्दर नगर जिला मण्डी	एंगल स्टैंड	
	15वां वित्त आयोग			
22	134/03.12.22	जय माँ दुर्गा वैल्डिंग वर्क,गाँव भरारू तहसील जोगीन्दर नगर जिला मण्डी	चौखट	4500
				529220.5

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-173 दिनाँक 15.12.2023 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत भराडू के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्रवाई करके जाँच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 09 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी । अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी

परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

11 MAR 2024

07-3-24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

1174 - 1178 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 104/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0–175015 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11 MAR 2024

07-3-24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**विवरण**	**टिप्पणी**
1	पैरा-3	**निर्णीत**	अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त
2	पैरा-5	अनिर्णीत	
3	पैरा-6	अनिर्णीत	
4	पैरा-7	अनिर्णीत	
5	पैरा-8	अनिर्णीत	
6	पैरा-9	अनिर्णीत	
7	पैरा-10	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2022

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**विवरण**	**टिप्पणी**
1	पैरा-3	**निर्णीत**	अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त
2	पैरा-5(क)	पुनः प्रारूपित	
3	पैरा-5(ख)	पुनः प्रारूपित	
4	पैरा-6	पुनः प्रारूपित	
5	पैरा-7(क)	अनिर्णीत	
6	पैरा-7(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा-7(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा-7(घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा-7(ङ)	अनिर्णीत	
10	पैरा-8(क)	अनिर्णीत	

11	पैरा-8(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा-9(क)	अनिर्णीत	
13	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा-10	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	21
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	8
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	5
अवधि 01.04.19 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	24

परिशिष्ट "ख"

Financial position of Own Sources & 5th fc of Gram Panchyat Bhararu					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1183065.27	346074	1529139.27	397175	1131964.27

परिशिष्ट-"ग" पैरा सं० 4 ii के सन्दर्भ में

Financial position of Grants in Aid of Gram Panchyat Bhararu					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1923028.84	4647414	6570442.84	3986002.75	2584440.09

सचिव
ग्राम पंचायत भराडू
वि.ख. [illegible]
[illegible] मण्डी (हि.प्र

Financial position of SBM of Gram Panchyat Bhararu					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0	353487	353487	353487	0

(Dalip Kumar)
Jr. Auditor

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ-(ख)(इ) पैरा न० 6(क) के सन्दर्भ में (26)

वर्ष	परिवार रजिस्टर में परिवारों की संख्या	पिछला शेष	गृहकर की प्रतिवर्ष दर	वर्तमान वर्ष में आरोपित गृहकर की राशी	गृहकर की कुल राशी जो वसूल करनी थी	गृहकर की राशी जो वसूल की	गृहकर वसूली को बकाया राशी
2022-23	1149	52810-	25	25	81535	NIL	81535

सचिव
ग्राम पंचायत भराड़
वि.ख. द्रंग स्थित पा..
जिला मण्डी (हि.प्र.